

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर
प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी R-390-I-15

गिरीश प्रेमानी पुत्र श्री घनश्याम प्रेमानी
आयु- 45वर्ष, व्यवसाय-ब्यापार, निवासी-
हाल 356/4 सिविल लाइन झांसी (उ0प्र0)
.....आवेदक

रा. 1510 के खरे (स.
द्वारा आज दि. 19-2-15 को
प्रस्तुत

for Shri
क्लक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

- 1- नरेन्द्र कुमार खरे पुत्र श्री वंशगोपाल खरे
निवासी -निवाडी जिला टीकमगढ(म.प्र.)
- 2- दीपक पाण्डे पुत्र श्री शिव प्रसाद पाण्डे
निवासीहाल- पुराना कालीगंज झांसी(उ.प्र.),
- 3- कैलाश पुत्र श्री धर्मदास गुप्ता,निवासी हाल
चमन गंज सीपरी बाजार झांसी(उ.प्र.)
- 4- प्रवीण कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश आनन्द
निवासी हाल मसीहा गंज झांसी(उ.प्र.)
.....अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, विरुद्ध आदेश दिनांक
21/02/2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय निवाडी जिला टीकमगढ
(म0 प्र0) जो प्रकरण क्रमांक 194/अपील/10.-11 में पारित कर अनावेदक क्रमांक
1 की अपील स्वीकार करते हुए श्रीमान नायव तहसीलदार औरछा जिला टीकमगढ
द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/10/1997 जो प्र0क0 1/अ-27/97-98 में पारित
किया गया है को निरस्त किया है। निगरानी अन्तर्गत आदेश प्रदर्श ए-1 से चिन्हित
किया गया है।

श्रीमान् जी,

आवेदक की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:-

संक्षिप्त तथ्य

- 1- यह कि, अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध भूमि
सर्वे क्रमांक 716/1015, क्रमांक 716/1017, क्रमांक 716/1018 रकवा क्रमशः 0.
267, 0.920 0.211 कुल रकवा 1.399 स्थित औरछा का म0प्र0 भू-राजस्व संहिता
की धारा 178 के तहत आवेदनपत्र वास्ते वेंटवारा प्रस्तुत किया जो प्र0क0
1/अ-27/97-98 पर दर्ज किया गया।

- 2- यह कि, उक्त प्रकरण दिनांक 13/10/97 को दर्ज किया जाकर प्रारूप क एवं
ख का सूचना पत्र जारी किया गया और पटवारी से मौके पर जाकर फर्द वेंटवारा
का सूचना पत्र जारी किया गया। दण्टहार के पश्चात कोई आपत्ति न आने


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

37

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 390-एक/2015

जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-15	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी निवाडी जिला टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 194/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 21-2-13 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण में इशितहार प्रकाशन की कार्यवाही एवं मौके की स्थिति अनुसार बटवारा आदेश नहीं होने से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर पुनः मौके की स्थिति अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का आधार आवेदक ने निगरानी में प्रस्तुत नहीं किया है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	